कार्यालय उप निदेशक, फायर सर्विस लखनऊ/फैजाबाद परिक्षेत्र।

पत्र संख्या-अ-135/डी0डी0(लखनऊ)-2016 दिनांक मई 31 ,2016

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता मानचित्र सेल,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
विपिन खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।

विषयः **भूखण्ड सं-जी0एच0-2 विनम्रखण्ड , गोमतीनगर जनपद लखनऊ में मेसर्स पूर्वाचल कान्सटक्शन प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित समूह आवास की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।**

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एनआर-15/AAमा0सेल दिनांक 18.05.2016 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भवन का प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ तथा अग्निशमन अधिकारी गोमतीनगर द्वारा किया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ तथा श्री शेष नाथ यादव अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर लखनऊ की आख्या का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत हैः-

भवन की संरचना-

1-कुल भूखण्ड एरिया-	8240.00 वर्गमीटर।
2-प्रस्तावित भूतल का कवर्ड एरिया-	1015.456 वर्गमीटर।
3-प्रथम तल से दसवें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया-	1177.119 वर्गमीटर।
4-ग्यारहवें तल का कवर्ड एरिया-	1043.567 वर्गमीटर।
5-बारहवें तल का कवर्ड एरिया-	989.015 वर्गमीटर।
6-तेरहवें तल का कवर्ड एरिया-	868.355 वर्गमीटर।
7-बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया-	4939.308 वर्गमीटर।
8- भवन की ऊँचाई-	42.900 मीटर है।

क्लब/कम्युनिटी हाल

1- प्रस्तावित भूतल का कवर्ड एरिया-	391.615 वर्गमीटर।
2-प्रथम तल की कवर्ड एरिया-	253.184 वर्गमीटर।
3 भवन की ऊँचाई-	08.20 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0-2005 की आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढॉचागत व्यवस्थाः-

1-पहुँच मार्ग-भूखण्ड के सामने मानचित्र में 24 मीटर रोड की चौड़ाई है।

2-प्रवेश व निकास द्वार प्रत्येक की चौड़ाई- 04.50 मीटर है जो मानक के अनुसार है।

3-सेटबैक- भवन का सैटबैक निम्नवत हैः-

- अग्रभाग- 13.00 मीटर।
- पृष्ठभाग- 13.00 मीटर।
- पार्श्वभाग प्रथम- 13.00 मीटर।
- पार्श्वभाग द्वितीय- 13.00 मीटर।

उपरोक्त भवन का सेटबैक भवन निर्माण व विकास उपविधि-2008 के प्रस्तर-3.4.5 के पार्ट-4 (ग) के अनुसार अनुवर्ती तलों पर दो सेटबैक का प्राविधान किया गया है सेटबैक सदैव अवरोधमुक्त रखे जायेगें। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा तथा बेसमेन्ट का कुछ भाग भवन से बाहर है बेसमेन्ट की छत 45 टन वाहन को सहने की क्षमता की बनायी जाये जिसका प्रमाण पत्र स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा प्रस्तुत किया जाय।

4-निकास मार्गः- प्रस्तावित भवन में 03 स्टेयर केस जिसकी चौड़ाई-01.50 मीटर व 03 फायर स्केप जिसकी चौड़ाई-01.25 मी0 का प्राविधान किया गया है जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5-रिफ्यूज एरिया का विवरण- प्रत्येक फ्लैट में बालकनी प्राविधानित है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था- नेशनल बिल्डंग कोड आफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थायें पूर्ण की जानी अनिवार्य है:-

1-भूमिगत टैंक-भूमिगत टैंक 100000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

2-पम्प-भूमिगत टैंक के पास मेन पम्प 1620 एल0पी0एम0 क्षमता का एक विद्युत चालित पम्प, एक डीजल चालित पम्प-2280 एल0पी0एम0 क्षमता, जॉकी पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता का स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

3-होजरील-प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0-3844 मानकों के अनुसार प्राविधानित है।

4-वेटराइजर-प्रस्तावित भवन के मानचित्र में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0-2005 के मानकों के अनुरूप प्राविधानित किया गया है।

5-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेन्ट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0-01339:1991 के अनुसार है।

6-हस्तचालित इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम- मैनुअली अपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधानएन0बी0सी0 मानकों के अनुसार है।

7-स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम-भवन के बेसमेन्ट में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार है।

8-टेरिस टैंक-भवन के टैरिस पर टैरिस टैंक-30000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा व क्लब ब्लाक के टैरिस पर टेरिस टैंक-10000 ली0 क्षमता का प्राविधानित है।

09-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) भवन के प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार स्थापित कराया जाना ओगा, जो मानक के अनुरूप है।

10-स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम- भवन के बेसमेन्ट में स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम एन0बी0सी0मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

11-एग्जिट साइनेज- सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज प्राविधानित किये गये हैं।

12-पी0ए0 सिस्टम- सम्पूर्ण भवन में पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था प्राविधानित है।

13-प्रशिक्षित स्टाफ-भवन में स्थापित होने वाली अग्निशमन व्यवस्था के कुशल संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार भूखण्ड सं-जी0एच0-2 विनम्रखण्ड , गोमतीनगर जनपद लखनऊ में मेसर्स पूर्वाचल कान्सटक्शन प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित समूह आवास_की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन के निर्माणोरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

<u>संलग्नक-मानचित्र</u>

(एस0के0 सिंह)
उप निदेशक, फायर सर्विस परिक्षेत्र,
लखनऊ/फैजाबाद।

प्रतिलिपि-

1-मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2-अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।